सं0–693 / V–श0वि0–06–61(सा0) / 06

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून

शहरी विकास अनुभागः

देहरादूनः दिनांक–25 मार्च 2006

विषयः **नगर पालिका परिषद हरिद्वार में अवस्थापना विकास निधि से विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2005–06 में प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित **नगर पालिका परिषद हरिद्वार** में अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित कार्यों हेतु प्रस्तुत रू0–216.69 लाख एवं रू0 304.98 लाख की लागत के आगणन विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त क्रमशः **संस्तुत रू0 216.64 लाख एवं रू0 304.95 लाख अर्थात कुल रू0 521.59 लाख (रूपये पांच करोड इक्कीस लाख उनसठ हजार मात्र)** की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इसके सापेक्ष रू0 152.45 लाख (रूपये एक **करोड बावन लाख तथा पैंतालीस हजार मात्र)** को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

2– अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का संयुक्त रूप से एक पृथक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलकर जमा किया जायेगा, किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाय, इसके लिये सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

3– उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिये किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आंगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुये प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

5– संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आंगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण ऐजेन्सी के अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगें।

6– स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

7– कार्यदायी संस्था का निर्धारण शासनादेश सं0 452/XXVII(1)/2005 दि0 05 अप्रैल,2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

8– यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं तब सम्बन्धित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को एक माह के भीतर समर्पित कर दी जायेगी।

9– कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय,पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगाया जायेगा। कार्य होने की पुष्टि में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व व पूर्ण करने के बाद कार्यदायी संस्था द्वारा ई0ओ0 के माध्यम से निदेशक को कार्य के चित्र लेकर प्रेषित किया जायेगा।

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथाआवश्यकता ही किश्तों में आहरण किया जायेगा।

11– सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।

12– आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

13– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।

14– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टी के मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित् करें।

15– विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।

16– निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

17– शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को एक वर्ष के भीतर उपलबध करा दिया जाये। और उक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

18– **शासन द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है कि सी.सी. सड़कों के बजाय टाईल्स की सड़कें बनाई जायेंगी अतः उपरोक्त धनराशि व्यय करने से पूर्व टाईल्स सड़कों का पुनरीक्षित आगणन भी शासन को सहमति हेतु प्रस्तुत कर दिया जाय।**

19– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीषर्क–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास–42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

20– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 525/XXVII(2)/2006, दिनांक–25 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

सं0–693(1)/V-श0वि0–06,तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
7– अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद हरिद्वार।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
अनु सचिव।

शासनादेशसं0–693 / V-श0वि0–06–61(सा0) / 06 दिनांक–25 मार्च 06 का संलग्नक

(1) सी.सी. सड़कों का निर्माण(प्रथम आगणन)

क0सं0	कार्य का नाम	आगणन की लागत (लाख रू0 में)	टी0ए.सी.से अनुमोदित (लाख रू0 में)
1.	वार्ड नं0–1 भूपतवाला में पंत टी–स्टाल से महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट तक सी0सी0 सड़क निर्माण	2.19	2.10
2.	वार्ड नं0–2 भीमगोडा रेलवे क्रासिंग के पास श्री सुभाष चन्द्र शर्मा के मकान से श्री गरीब दास परमानन्द आश्रम तक सी0सी0 सडक निर्माण	5.55	5.55
3.	वार्ड नं0–6 मिलाप मिशन से संत ईश्वर धाम तक सी0सी0 सडक निर्माण	3.61	3.60
4.	वार्ड नं0–6 श्रवणनाथ नगर में सुविधा होटल से आरती होटल तक सी0सी0 सडक निर्माण	4.29	4.29
5.	वार्ड नं0–6 श्रवणनाथ नगर में कुमार भवन से टूरिस्ट विला तक सी0सी0 सडक निर्माण	3.15	3.15
6.	वार्ड नं0–6 में वासु ट्रैवल्स से रेलवे क्रासिंग तक सी0सी0 सडक निर्माण	4.53	4.53
7.	वार्ड नं0–6 श्री प्रवीण बिश्नाई के मकान से पूर्णिमा शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट तक सी0सी0 सडक निर्माण	2.06	2.06
8.	वार्ड नं0–6 विजीट इन्टरनेशनल स्कूल से आयकर कार्यालय तक सी0सी0 सडक निर्माण	9.06	9.06
9.	वार्ड नं0–6 इण्डस्ट्रल एरिया में श्री रमेश फ्लोर मिल (एफ–26) से श्री ओमप्रकाश (एफ–16) तक सी0सी0 सडक निर्माण	19.00	19.00
10.	वार्ड नं0–6 इण्डस्ट्रल एरिया में आयकर कार्यालय से दिव्य योग फार्मेसी तक सी0सी0 सडक निर्माण	23.20	23.20
11.	वार्ड नं0–7 डा0 के0सी0 वर्मा के मकान से श्रद्धा माता आश्रम व मोहिनी डेरी तक सी0सी0 सडक निर्माण	4.14	4.14
12.	वार्ड नं0–8 / 9 कनखल में ज्ञानलोक कालोनी के पीछे श्री राजेश द्विवेदी के मकान से डा0 अरविन्द चौहान के मकान तक सी0सी0 सडक निर्माण	6.81	6.81
13.	कनखल लाटोवली से लक्सर रोड तक मुख्य नाले का निर्माण	14.72	14.72
14.	वार्ड नं0–11 कनखल संदेशनगर की सडकों का सुधार कार्य	20.62	20.62
15.	वार्ड नं0–14 आर्य बद्री विशाल रोड का सी0सी0 द्वारा निर्माण	7.27	7.27
16.	वार्ड नं0–14 आर्य नगर टंकी वाली रोड का सी0सी0 द्वारा निर्माण	6.74	6.74
17.	वार्ड नं0–14 गम्भीर मार्ग का सी0सी0 द्वारा निर्माण	5.12	5.12
18.	वार्ड नं0–14 पीठ बाजार से श्यामनगर नाला पुलिया तक रोड का सी0सी0 द्वारा निर्माण	2.63	2.63
19.	वार्ड नं0–15 आदर्शनगर आहूजा पैट्रोल पम्प से श्री सुरेश गुलाटी के मकान की ओर मुख्य सडक का सी0सी0 द्वारा निर्माण	5.44	5.44
20.	वार्ड नं0–15 रामनगर में श्री चुन्नीलाल व राठी के मकान के सामने वाली गलियो का सी0सी0 द्वारा निर्माण	1.75	1.75
21.	वार्ड नं0–16 जगदीश नगर की मुख्य सडक का सी0सी0 द्वारा निर्माण	5.73	5.73
22.	वार्ड नं0–16 / 17 राजनगर एवं श्री रामनगर की गलियों का सी0सी0 द्वारा निर्माण	7.53	7.53
23.	वार्ड नं0–17 अम्बेदकर नगर गली नं0–1 व 20 फिट वाली रोड का सी0सी0 द्वारा निर्माण	12.34	12.34
24.	वार्ड नं0–17 बसंत विहार की गलियों का सी0सी0 द्वारा निर्माण	10.58	10.58
25.	वार्ड नं0–17 शास्त्रीनगर गली नं0–1 एवं श्री गोस्वामी के मकान के पीछे वाली गलियों का सी0सी0 द्वारा निर्माण	8.98	8.98
26.	वार्ड नं0–20 मौ0 मैदानियान शाह गली का सी0सी0 द्वारा निर्माण	5.53	5.53
27.	वार्ड नं0–21 धीर वाली नाला पैरापिट दिवार का निर्माण	3.59	3.59
28.	वार्ड नं0–21 धीर वाली रोड से पाण्डे वाली रोड तक नाला पटरी रोड का सी0सी0 द्वारा निर्माण	6.89	6.89
29.	वार्ड नं0–23 झण्डा चौक से जैन मंदिर की सडक का सी0सी0 द्वारा निर्माण	3.60	3.60
	कुल योग–	216.69	216.64